आउटकम बजट 2024–25

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 **Zero Hunger-(2.3)**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना। 2. गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सुदृढ़ीकरण। 3. स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना/कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन।	3897.00	–	वर्ष 2022–23 में संचालित 21 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 06 परियोजनायें पूर्ण हुयी हैं तथा 15 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है।	वर्ष 2023–24 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नयी परियोजनाओं का संचालन किया गया।	वर्ष 2023–24 की 04 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2024–25 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी।	वर्तमान में संचालित 15 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा योजना के तहत नयी परियुोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।	1 वर्ष
					सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति अपने स्तर से उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–				
					1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–82,475 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– 95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1443 है0	1.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–90,000 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम(चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1200 है0	1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण– क्षेत्रफल–1,00,000 हैक्टेयर मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1850 है0	1. जैविक कृषि के क्षेत्रफल एवं जैविक उत्पादन में वृद्धि होगी। 2. पूर्व वर्षो में संचालित कार्यो से भूमि एवं जल संरक्षण कार्य हो रहा	1 वर्ष 1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. मूल्य संवर्द्धन माडल को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषकों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को शसक्त बनाना।			बीज वितरण–1603 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–1478 है०, जल सवंहन पाईप वितरण –12065 मी० प्रशिक्षण–21 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–2315 कु०	बीज वितरण–1405 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –2535 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 4047 मी०, प्रशिक्षण–18 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4000 कु०	बीज वितरण–5200 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –9522 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 35200 मी०, प्रशिक्षण–34 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4300 कु०	है। 3.नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।	– 1 वर्ष
	–तदैव – –तदैव –				4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक– 58 सं० सिंचाई टैंक–35 सं० घास रोपण–2500 है० उद्यानीकरण–12000 है० भूमि संरक्षण कार्य– 500 सं0	4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक– 1210 सं० उद्यानीकरण–200 है० भूमि संरक्षण कार्य– 300 सं0	4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– घास रोपण–2000 है० उद्यानीकरण–20,000 है० भूमि संरक्षण कार्य–800सं0	4. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता होगी।	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, एवं पौष्टिक अनाज) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, एवं दलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	1578.00		संचालित कार्यक्रम – 1. क्लस्टर प्रदर्शन है0)–4975 2. बीज वितरण (कुं0)–3010 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–15292 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–28210 6– कृषक प्रशिक्षण (सं0)–25 7. स्थानीय/अन्य पहल / टैंक (सं0)–11 8. बीज उत्पादन (कुं0)–2009.88 9 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 6	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 5423 2. बीज वितरण (कुं0)–4134 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–17503 4. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–25 5 स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–20 6 बीज उत्पादन (कुं0)–2342.61 7 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 3	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 6613 2. बीज वितरण (कुं0)–10447 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–33128 4. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–54 5. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–12 6. बीज उत्पादन (कुं0)–3580 7. ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर–18	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गेहूँ जनपद चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में पौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज, एवं दलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	1 वर्ष
3	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित कर प्रदेश को तिलहन उत्पादन	103.30		संचालित कार्यक्रम – 1. क्लस्टर प्रदर्शन है0)–100 2. बीज वितरण (कुं0)–142 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–202 4. जल सम्वहन पाईप	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 110 2. बीज वितरण (कुं0)–129 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–234 4. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–2250	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 300 2. बीज वितरण (कुं0)–315 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–800 4. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–7000	योजना में सभी जनपदों में तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना।			वितरण (मी0)–4426 5– कृषक प्रशिक्षण (सं0)–12 6. स्थानीय / अन्य पहल ऑयल मिल (सं0)–2 7. बीज उत्पादन (कुं0)–72.91	5. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–8 7 स्थानीय / अन्य पहल ऑयल मिल (सं0)–3 8 बीज उत्पादन (कुं0)–433.20	5. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–20 6. स्थानीय / अन्य पहल / टैंक एवं ऑयल मिल (सं0)–5 7. बीज उत्पादन (कुं0)–960		
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	3686.00	-	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–722 2. चेक डेम–333 3. HDPE पाईप मी0–297080 4. जल पम्प(सं0)– 259 5. ट्यूबवेल (सं0)– 256 6. जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत–32 7. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 9151 है0	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)– 70 2. चेक डेम–21 3. HDPE पाईप मी0–64500 4. जल पम्प(सं0)– 27 5. ट्यूबवेल(सं0)– 74 6. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 817 है0	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–515 2. चेक डेम–248 3. HDPE / LDPE पाईप (मी0)– 1,31,780 4. जल पम्प(सं0)– 165 5. ट्यूबवेल(सं0)– 258 7. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 24800 है0	उपलब्ध एवं वर्षा जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)								
5	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को	1047.00	–	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3482 है0,	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–3200 है0,	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–4500 है0,	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।			ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. लो–टनल पॉलीहाउस – 2000 वर्ग मी0 2. मौन पालन–30 सं0 3. साइलेज इकाई–23 सं0 4. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 20 सं0 5. जल प्रयोग एवं वितरण– 231 है0 6. वाटर लिफ्टिंग डिवाईस– 0 सं0 7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 98 सं0	ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन–1500 सं0 2. साइलेज इकाई–33 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 20 सं0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 203 है0 5. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 110 सं0 6. ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)– 1500	ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन– 2270 सं0 2. साइलेज इकाई–35सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 35 सं0 4. जल प्रयोग एवं पाईप वितरण– 386 है0 5. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 146 सं0 6. ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–4200	से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	
6	मृदा स्वास्थ्य उर्वरता AAP based Component under RKVY (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। 4. विभिन्न प्रयोगशालाओं का विस्तारिकरण /	473.00	-	योजनान्तर्गत 57424 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुये मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को वितरित किये गयें	योजना के अन्तर्गत 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 52368 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण– 52368 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 52368	योजना के अन्तर्गत 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 57000 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण– 57000 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 57000	कृषकों को मृदा परीक्षण आधारित संस्तुतियां उपलब्ध करायी जायेगी जिससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। आवश्यक उर्वरकों पर खर्च कम होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सुदृढ़ीकरण							
7	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	3495.00	-	वर्ष 2018–19 से 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसमें परम्परागत फसलें– 2555, सब्जी / उद्यानीकारण / फूल–1241, रेशम विकास–59, सगंध पौध के 45 क्लस्टर चयनित है।	वर्ष 2018–19 से 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसमें परम्परागत फसलें– 2555, सब्जी / उद्यानीकारण / फूल–1241, रेशम विकास–59, सगंध पौध के 45 क्लस्टरों मे योजना संचालित की जा रही है।	भारत सरकार को 1400 नये क्लस्टरों में योजना के संचालन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 28000 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	तीन वर्ष
8	नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)– नई योजना	प्राकृतिक खेती का उददेश्य उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है।	355.62		–	भारत सरकार से 6400 है0 (128 क्लस्टरों) में योजना के संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है।	प्राकृतिक खेती को अपनाकर उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाना है तथा शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना है।	कृषकों में आय में वृद्धि होगी	4 वर्ष
9	नमामि गंगे क्लीन अभियान (90		2750.06		स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' प्रथम चरण का कार्य 5 जनपदों के 42	वर्ष 2020–21 से स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण का कार्य 7	वर्ष 2020–21 से स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण का कार्य 7 जनपदों	50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रतिशत के0पो0)				चयनित ग्रामों में पूर्ण हुआ।	जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों के 50000 है0 क्षेत्रफल में प्रारम्भ किया गया।	के 1182 चयनित ग्रामों में सम्पादित किया जा रहा है।	जा सकेगा।	
10	केन्द्रपोषित ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' की उपयोजना– कृषि वानिकी - (90% CS Components of RKVY Scheme-Agro Forestry)	योजना वर्ष 2016–17 में ''हर मेड़ पर पेड़'' के आदर्श वाक्य के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तारित करने, के लिये ''नैशनल मिशन फोर ससटेंनेबल एग्रीकल्चर ;छडै।द्धष के अन्तर्गत ''सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्टी ;ड।थ्द्धष के तहत प्रारम्भ की गयी।	111.11		–	–	किसानों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये बीज, पौध, क्लोन, उन्नत किस्मों जैसी गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (QPM) के उत्पादन के लिये नई छोटी, मध्यम और उच्च तकनीकी वाली नर्सरी की स्थापना को बढ़ावा देना, कृषि वानिकी की क्षेत्र में डेटाबेस एवं सूचना तैयार करना, कृषि वानिकी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास, विस्तार और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना तथा कृषि उपज के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाना है।	योजना का संचालन गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (QPM) के लिये नर्सरी की स्थापना, किसानों / फील्ड श्रमिकों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, एक्सपोजर विजिट, राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार / कार्यशाला जैसी गतिविधियों में सहयोग देना, अनुसंधान एवं विकास कार्य, अन्य तकनीकी कार्यो की जांच एवं मूल्यांकन तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार को बढावा दिये जाने हेतु आर0के0वी0 वाई0 गाईडलाइन के सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत योजना की	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।	
	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन **(NMAET)**								
11.	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2. कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4. सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5. प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।	3641.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –27 2. फार्म मशीनरी बैंक–369 3. ट्रैक्टर – 74 4. रोटावेटर –374 5. लेजर लैंड लेवलर –12 6. पावर वीडर – 4160 7. थैसर/मल्टी क्रॉप–330 8.पावर टिलर –23 9. ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र – 360 10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–55 11.कृषि रक्षा यंत्र–140 12. चैफ कटर–135 13. ब्रश कटर– 200 14. पशु चालित यंत्र–1495 15. मानव चालित यंत्र–3000	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –20 2. फार्म मशीनरी बैंक–160 3. ट्रैक्टर – 32 4. रोटावेटर –2220 5. लेजर लैंड लेवलर –10 6. पावर वीडर – 2100 7. थैसर/मल्टी क्रॉप–100 8.पावर टिलर – 5 9. ट्रैक्टर/ पावर चलित यन्त्र –260 10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–30 11.कृषि रक्षा यंत्र–125 12. चैफ कटर–120 13. ब्रश कटर– 200 14. पशु चालित यंत्र–2000 15. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–20 16. मिनी	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –38 2. फार्म मशीनरी बैंक–325 3. ट्रैक्टर –71 4. रोटावेटर –520 5. लेजर लैंड लेवलर – 40 6. पावर वीडर – 3700 7.पावर टिलर – 10 8. ट्रैक्टर पावर चलित यन्त्र –1895 9. रीपर–80 10.कृषि रक्षा यंत्र–201 11. चैफ कटर–161 12. ब्रश कटर– 400 13. पशु चालित यंत्र–1500 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–40 15. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 330 16.छोटे कृषि यंत्र–40000	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।				राईस / दाल / मिलेट आदि मिल– 200 17.छोटे कृषि यंत्र– 7750			
12	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कृषकों को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	794.30	-	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 95079 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–31693 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–21398 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण (कुं0)–1773	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–49687 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 19875 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–13347 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–572	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–124057 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–47550 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–30780 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–2264	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	एक वर्ष
13	NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार (डिजीटल एग्रीकल्चर)	200.00	-	परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। ई–टेन्डर की कार्यवाही गतिमान है	भारत सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाईन के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम् तकनीकी, उपग्रह डाटा / रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. तथा मौसम के कारकों के आंकड़ों के उपयोग के आधार पर कृषि विकास को नई दिशा दी जा रही	नवीनतम तकनीकी, जी0आई0एस0 उपग्रह डॉटा / रिमोट सेंसिंग तथा आई0ओ0टी0 से प्राप्त डाटा के अन्तर्गत Econometric models का उपयोग कर फसलों के	दो वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							है।	उत्पादन के पूर्वानुमान / अनुमान लगाया जायेगा	
14	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) –तदैव –	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास। 4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना। 5. कृषक समूह का गठन। 6. सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम	1559.25	-	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 120 2. प्रदर्शन– 4477 3. भ्रमण कार्यक्रम–68 4. कृषक समूहों का गठन– 315 5. किसान मेलों का आयोजन–13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–20 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे–153 8. कृषक पुरूस्कार–418 9. फार्म स्कूल– 246 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 32598 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 180 2. प्रदर्शन– 5200 3. भ्रमण कार्यक्रम–120 4. कृषक समूहों का गठन– 370 5. किसान मेलों का आयोजन–13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–26 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 176 8. कृषक पुरूस्कार–80 9. फार्म स्कूल– 265 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 21701 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण–220 2. प्रदर्शन–6000 3. भ्रमण कार्यक्रम– 140 4. कृषक समूहों का गठन – 740 5. किसान मेलों का आयोजन– 13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 26 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–520 9. फार्म स्कूल– 285 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –23103 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बनाना।							
15	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (100 प्रतिशत के0पो0)	बीजों के परिवहन में व्यय होने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।	50.02	-	41312 कुंतल प्रमाणित बीजों के परिवहन किया गया है।	40086 कुंतल प्रमाणित बीजों के परिवहन किया गया है।	42000 कुंतल प्रमाणित बीजों के परिवहन किया गया है।	कृषकों को बीज दर में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।	एक वर्ष
16	किसानों हेतु फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) –तदैव–	1. किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। 2. खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। 3. किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। 4. उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र	100.01	-	में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–1.40 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.27 लाख है0 3.बीमित धनराशि–रू0 16800.10 लाख 4.प्रीमियम की धनराशि–रू0 948.93 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में– 586.20 लाख। 6.लाभान्वित कृषक खरीफ में–24607	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचितहै। 1.बीमित कृषकों की संख्या–0.86 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.24 लाख है0 3.बीमित धनराशि–रू0 17467.94 लाख 4.प्रीमियम की धनराशि–रू0 856.87 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में–15.78लाख (व्यक्तिगत आधार पर) 6.लाभान्वित कृषक	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 2.00 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–2.50 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.35 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।				खरीफमें–286 (व्यक्तिगत आधार पर औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन की कार्यवाही गतिमान है।			
17	केन्द्रपोषित ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' की उपयोजना / घटक योजना– प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली (Yield Estimation System based on Technology YES-TECH)	प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल उत्पादकता के अनुमान तैयार करने में प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को अपनाने तथा बीमा दावा मूल्यांकन के लिये संसूचित फसल धान व गेहूं के औसत उपज के आंकड़े तैयार करने हेतु।	10.01		–	–	बीमित कृषकों की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली अनुमानित फसल क्षति की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम वर्ष रू. 10. 00 लाख राज्यांश हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।	भारत सरकार की गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–5.3 से योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्देश दिये गये है।	1 वर्ष
	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)								
18	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर	TRS (Timely Reporting Scheme) - बुवाई के	100.00		नियोजित एवंविश्लेषितप्राथमिकता के आधारपरराजस्वग्रामों	नियोजित एवंविश्लेषितप्राथमिकता के आधारपरराजस्वग्रामों	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा	फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान होगा, जिसका अग्रिम	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स (TRS +TRS) (100 के0पो	उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।			की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ–1693 रबी–1693 जायद–474 योग–3863	की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ–1688 रबी– 1688 जायद– 479 योग– 3855	फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रयोग नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ – 1693 रबी – 1693 जायद – 479	आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	
		ICS (Improvement in Crop Statistics) - फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।	-	-	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये जायेंगे :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100 प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120 प्रयोग	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	एक वर्ष
19	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	1. किसानों को कृषि निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना।	-	-	2021–22 में तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0	2022–23 में योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक लाभान्वित हुये :–	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से	01 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योजना PM-Kisan (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।			6000.00 समस्त किसान परिवारों को प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना। 1. पंजीकृत कृषक– 9.52 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि– 481.10 करोड़	1. कुल सक्रिय कृषक– 8.96 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि– प्रथम किस्त– (अप्रैल–जुलाई)– लाभान्वित कृषक– 7,60,148 (रू0 168.97 करोड़) द्वितीय किस्त– (अगस्त–नवम्बर)– लाभान्वित कृषक– 6,79,935 (रू0 160.94 करोड़)तृत्तीय किस्त– (दिसम्बर–मार्च)– कृषक 8,00,000 (सम्भावित)		व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।	
20	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) (50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.–के.एम.वाई) के अन्तर्गत सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की एक	-	-	18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक–2121	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक– 2121	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र होंगे।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।							
21	कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना औरसामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्तसुविधा।	-	-	वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक कुल 6 वर्षोमें 785 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने जाने का प्रविधान है। वर्ष 2022–23 तक रू0 102. 50 करोड़ के ऋण अनुमोदित किये गयेहै।	रू0 314 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। जनवरी 2024 तक 269.57 करोड़ के ऋण अनुमोदित किये गये है। सम्भावित–300.00 करोड़	रू0 471 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।	फसलोपरांत उत्पादों को रखने एवं विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी।	01 वर्ष
22	किसान उत्पादक समूह (FPO)	**1.** किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। **2.** सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी	-	-	निम्न संस्थाओं द्वारा 57 कृषक उत्पादक समूह गठित किये गये– 1. नाबार्ड–22 2. एस0एफ0ए0सी0–14 3. एन0सी0डी0सी0–21 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।	निम्न संस्थाओं द्वारा 142 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जायेगा– 1. नाबार्ड–30 2. एस0एफ0ए0सी0–51 3. नाफेड– 31 4. एन0सी0डी0सी0–25 5. एन0डी0डी0बी0– 2 6. ट्राइफेड– 2 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी निर्गत कर दी जायेगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। **3.** किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। **4.** किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना				पौलिसी का निर्माण NABCONS द्वारा पॉलिसी का ड्रॉफ्ट कर दिया गया है। –तदैव–		खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।	
23	केन्द्रपोषित ''नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयलसीड –(NMEO Oilseed)" की उपयोजना /घटक–100	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों के आधारीय एवं प्रमाणित बीजो की आवश्यकता के पूर्ति के लिये आई0सी0ए0आर0 / राज्य कृषि विश्वविद्यालयों / के0वी0के0 से प्रजनक बीजों के क्रय करने में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति,	9.00		प्रजनक बीज क्रय–10.35 कुं0	प्रजनक बीज क्रय–8.30 कुं0	प्रजनक बीज क्रय–14.30 कुं0	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की श्रंखला प्रजनक बीज से प्रारम्भ होती है। प्रदेश में तिलहनी फसलों के आधारीय एवं प्रमाणित बीजो की आवश्यकता के पूर्ति होगी	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रतिशत् केन्द्र सहायतित प्रजनक बीजों का क्रय (100% CS Components of NMEO-Oilseed Scheme)	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम जैसी संस्थाओं को करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।							
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग		**23959.68**	-					

	राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/बजट	1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि	क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	13661.25	-	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ 5080, रबी/जायद–3702	कृषि विभाग के कार्यरत 1252 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ में 5110, रबी/जायद में लगभग –3730	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रायोजित होंगे। खरीफ–5110, रबी/जायद–3730	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए जायेंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेगें, जिससे प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार होंगें।	एक वर्ष
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	719.06	-	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया गया।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	70.92	-	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया गया। 1. नमूनों का विश्लेषण– उर्वरक – 434 कीटनाशी – 426 बीज – 712	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जा रहा है। 1.नमूनों का विश्लेषण – मृदा – 52368 उर्वरक – 400 कीटनाशी – 400 बीज – 475	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जायेगा। 1. नमूनों का विश्लेषण– मृदा – 57000 उर्वरक – 500 कीटनाशी – 400 बीज – 500	कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके।	1000.00	-	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम हो रहा है, वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार होगा।	एक वर्ष
5	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	55.50	-	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया गया।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र में नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
6	एकीकृत आदर्श कृषि	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं	0.01		प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार			एक वर्ष

	ग्राम योजना	सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।			किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।			
7	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	0.01		न्याय–पंचायत स्तर पर तैयार माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से तथा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में आयवृद्धिपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये गये।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जा रहे हैं।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जायेंगे।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	दो वर्ष
8	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	योजना का मुख्य उददेश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है ताकि कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन एवं कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है।	3500.00		कृषि से सम्बन्धित 11 विभागों यथा–यू0सी0एफ0, कृषि, भेड़ एवं ऊन विकास, लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुपालन, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मत्स्य, डेयरी, रेशम, पं0गो0ब0पन्त विश्वविद्यालय, वी0पी0के0ए0एस0, वी0च0सि0भण्डारी, भरसार विश्वविद्यालय एवं कैप की 11 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिनपर कार्य संचालित है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 सम्बन्धित विभागों को कार्य क्रियान्वयन हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।	उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास, कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
9	कृषि उत्पादन लागत	सर्वेक्षण का उददेश्य खरीफ ऋतु में फसल मण्डुवा, सॉवा, उर्द,	9.25		वर्ष 2022–23 में योजना के अन्तर्गत 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित किये	वर्ष 2023–24 में कुल सम्भावित 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित किया	वर्ष 2024–25 में पर्वतीय जनपदों की सभी फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन	उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिसमें	एक वर्ष

	सर्वेक्षण	गहत, सोयाबिन, भटट, राजमा एवं रबी में फसल मसूर व लाही/सरसों की उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकडे तैयार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय भाग के किसानों को उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों का उचित न्यून्तम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर उनकी आय में वृद्धि कराना है।			गये।	जायेगा।	मूल्य घोषित नहीं किया जाता है को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
10	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	575.00		मिलेट फसलों प्रोत्साहित करने हेतु सहकारिता विभाग को रू0 7.50 करोड़ रिवॉलविंग फण्ड के रूप में उपलब्ध करायी गई है। जिससे कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा, झंगोरा का क्रय किया गया।	स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किया गया जिसके क्रम में मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु सहकारिता विभाग को रिवॉलविंग फण्ड के रूप में रू0 12. 50 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिससे कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा/ झंगोरा क्रय किया गया है।	10000 मै0टन0 मण्डुवा अन्तःग्रहण करने का लक्ष्य है। स्थानीय फसलों के सत्यापित बीज वितरण अनुदानित मूल्य पर किया जायेगा।	कृषकों को स्थानीय फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। तथा इन फसलों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होगा।	एक वर्ष
11	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	55.00	–	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 203.11 कुं0 खरीफ एवं 409.65 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 276.06 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन। रबी में लगभग 550 कुं0 बीज	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 950 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गुणवत्ता बीजों	एक वर्ष

	प्रक्षेत्र				612.76 कुं0 बीज उत्पादन किया गया।	उत्पादन की सम्भावना है। वर्ष में लगभग कुल 826.06 कुं0 बीज उत्पादन सम्भावित है।		के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।	
12	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	150.00	-	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये से रखे गये 16 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया गया।	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये से रखे गये 16 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।	जैविक कृषि को बढ़ावा देना।	एक वर्ष
13	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	12.37	-	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	एक वर्ष
14	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	प्रदेश में बीमा योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करना। ग्राम पंचायत पर क्रॉप कटिंग कराना एवं उसके आधार पर फसल बीमा के अन्तर्गत क्षति का मूल्यांकन करना। यह कार्य आउट सोर्सिंग/ टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।	50.00	-	प्रदेश के समस्त जनपदों में फसल गेहूँ पर क्रॉप कटिंग प्रयोग ग्रामपंचायत स्तर पर किये गये।	खरीफ 2023 के संसूचित फसल धान, मण्डुवा के क्रॉप कटिंग प्रयोग ग्रामपंचायत स्तर पर समस्त जनपदों में पर कराये गये हैं।	ग्रामपंचायत स्तरपर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा।इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	ग्रामपंचायत स्तरपर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा। इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष
15	खाद्यान्न/	गुणवत्ता युक्त बीजों	-	1500.00	कृषि विभाग द्वारा	कृषि विभाग द्वारा	कृषि विभाग द्वारा	गुणवत्तायुक्त बीज	एक वर्ष

	दलहन/ तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	की उपलब्धता सुनिश्चित करना।			योजनान्तर्गत कुल 41219 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	योजनान्तर्गत कुल 40157 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण।	योजनान्तर्गत कुल 43500 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	
16	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	-	1500.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. पौध रक्षा रसायन– 215 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 875 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 66200 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. पौध रक्षा रसायन– 182 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 640 मै0टन 3. जैव उर्वरक–60540 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. पौध रक्षा रसायन–167 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 1050 मै0टन 3. जैव उर्वरक–65000 ली0	फसलों पर लगने वाले कीट/रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगे।	एक वर्ष
17	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	50.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	गत वर्ष जिन 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट से पूर्ण किया जा रहा है।	विकासखण्ड स्तर पर निर्मित 5 राजकीय बीज भण्डारों/अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष
18	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	500.00	-	चयनित 54 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण– 6412 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण	चयनित 71 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण–6495 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण	चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :– 1. बीज मिनिकिट वितरण –7000 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण –	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास होगा, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा उत्पादकता	एक वर्ष

	कार्यक्रम ––तदैव ––				– 117 है0 3. चैक वॉल/रिटेनिंग वॉल/ब्रस्ट वॉल–94 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–7151 सं0 5. बुखारी वितरण–157सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–1102 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–34174 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–16 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–1918 है0 10. पॉली हाऊस–21सं0 11. मुर्गीबाड़ा/ मुर्गी पालन– 4981 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–158 सं0 13. फल पौध वितरण–11612 सं0 14. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–778 है0	– 302 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ब्रस्ट वॉल–292 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–9852 सं0 5. बुखारी वितरण–530सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–938 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–40650 मी0 8.पौध रक्षा कार्यक्रम–1960 है0 9. पॉली हाऊस– 15 10. मुर्गीपालन–4294 सं0 11. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–192 सं0 12. सिंचाई टेंक (सामु0)– 15 सं0 13. फल पौध वितरण–7700 सं0 14. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–1010 है0 15. मौन पालन–42 सं0	350 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल–300 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–10000 सं0 5. बुखारी वितरण–500 सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–1150 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–45000 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–20 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–2500 है0 10. पॉली हाऊस– 25सं0 11. मुर्गीपालन– 5000 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–200 सं0 13. फल पौध वितरण–10000सं0 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़–1000 मी0 15. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–500 है0	के स्तर में वृद्धि होगी। ––तदैव ––	
19	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का	200.00	-	चयनित 12 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये:–	चयनित 15 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :–	चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे:–	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के	एक वर्ष

	ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्त करना।			1. बीज मिनिकिट वितरण – 1380 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 92 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 6587 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 9000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 100 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 665 है0 7. उद्यानीकरण– 16 है0 8. मुर्गीपालन– 384 सं0 9. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–315 है0	1. बीज मिनिकिट वितरण – 1631 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण –176 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 1925 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 9000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 210 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 562 है0 7. उद्यानीकरण / फल पौध–76 सं0 8. मुर्गीपालन / मौन पालन– 76 सं0 9. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी– 34 सं0 10. सामूहिक सिंचाई टैंक– 4 सं0 11. सिंचाई गूल– 600 मी0 13. कृषि यंत्र वितरण समूह में– 9 सं0	1. बीज मिनिकिट वितरण – 1700 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 300 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 5500 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 15000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक–300 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 750 सं0 7 उद्यानीकरण / फल पौध वितरण–6000 सं0 8. मुर्गी पालन / मौन पालन–200 सं0 9. सिंचाई गूल–1000मी0 10. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 400 है0 11. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी– 200 सं0 12. सिंचाई गूल– 1000 मी0	प्रति रुची में वृद्धि कृषि क्षेत्र का विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	
20	नाबार्ड सहायतित– आर0आई0 डी0एफ0– नया	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं / प्रोजैक्टों के संचालन हेतु बजट		3000.00	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 2 परियोजना हेतु धनराशि आवंटन रू0 628.50 लाख किया गया	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 6 परियोजना हेतु रू0 1942.938 लाख धनराशि आवंटन के	नाबार्ड द्वारा संचालित योजना आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं	कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता के साथ–साथ किसानों की सुविधा हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं मण्डियों	1 वर्ष

					है। जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।	सापेक्ष रू0 697.74 लाख व्यय किया गया।	हेतु वित्त पोषित	का निर्माण	
21	कृषक उत्पादक समूह	सामूहिक खेती को प्रोत्साहन	0.01		–	कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) पॉलिसी बनाये जाने हेतु NABCONS, देहरादून जो कि नाबार्ड की सहायक संस्था है, NABCONS द्वारा उत्तराखण्ड कृषक उत्पादक संगठन की पॉलिसी का ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है।	कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	किसानों की आय में वृद्धि करना	1 वर्ष
22	राज्य मिलेट्स मिशन	राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा	700.00		–	स्टेट मिलेट मिशन अन्तर्गत पॉच वर्षों (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु कुल रु0 तिहतर करोड सोलह लाख (73.16 करोड) की कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।	मिशन अन्तर्गत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग द्वारा समूह के माध्यम से 16500 मै0टन मण्डुवा का क्रय कृषकों के खेतो से न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0 3846.00/कु0) पर किया जा रहा है।	मिलेट्स फसलों को प्रोत्साहित करना एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना।	
	राज्य सैक्टर का योग		**21258.38**	**6050.00**					
	केन्द्र एवं राज्य सैक्टर का योग		**45218.06**	**6050.00**					
	कुल योग		**51268.06**						

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप– आउटकम बजट, वर्ष 2024–25

विभाग का नाम– कृषि विभाग

क्र. सं.	SDG संकेतक	1–4–2023 की भौतिक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) वर्ष 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25
1	2	3	4	5	6
	SDG-2 Zero Hunger (2.3)				
1	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	24.42	24.46	26.12	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 0.049 प्रतिशत एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 0.122 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
	मिलेट उत्पादकता–मंडुवा/सांवां (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	14.97	14.99*	16.32	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 0.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 0.075 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
	कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत)	55.06	55.10	55.20	कृषि क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है। वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 0.18 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी व खरीफ में नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषक (संख्या लाख में)	1.40	0.86	2.50	–
	कुल कृषि क्षेत्रफल में जैविक कृषि का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	35	36	39	वर्ष 2021–22 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत एवं वर्ष 2022–23 की तुलना में 11 प्रतिशत वृद्धि होगी।
	धान, गेहूँ, मोटे अनाज की उत्पादकता (कुं0 प्रति हैक्टेयर)	25.57	25.62	25.65	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 0.051 प्रतिशत एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में 0.127 प्रतिशत वृद्धि होगी।
	लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (रूपये में)	1,10,000.00	1,20,000.00	1,33,000.00	गत वर्षों की तुलना में कृषकों की आय में वृद्धि।

* अनन्तिम

सुधारात्मक कार्य एवं नीतिगत पहल

1. गत 5 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक रहा है। वर्ष 2021–22 में खाद्यान्न उत्पादन 18.86 लाख मै0टन रहा। वर्ष 2022–23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 17.75 लाख मै0टन रहने की सम्भावना है। खाद्यान्न उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
2. स्टेट मिलेट मिशन– वर्ष 2023–24 को अन्तराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाये जाने के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023–24 से वर्ष 2027–28 तक रू0 73.16 करोड संचालन किये जाने की मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। मिलेट मिशन अन्तर्गत मंडुवा एवं सांवा फसल के बीज वितरण, उत्पादन से लेकर विधायन एवं विपणन के कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

   प्रदेश में प्रथम बार भारत सरकार के सहयोग से खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 01 किलोग्राम मण्डुवा प्रति राशन कार्ड के अनुसार चार जनपदों– ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में वितरण सुनिश्चित किया जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस हेतु वर्श 2023–24 से पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों द्वारा उत्पादित मण्डुवा 10000 मै0टन की खरीद एम0एस0पी0 की दर पर सहकारिता विभाग द्वारा की जायेगी। साथ ही झंगोरे की खीर मिड–डे–मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं मण्डुवा क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि भी प्राप्त होगी। आतिथि तक 2000 मै0टन मण्डुवा का अन्तःग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषको को प्रोत्साहित करने हेतु रु 150.00 प्रति कु0 प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
3. प्राकृतिक खेती– केन्द्रपोषित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में आरम्भ किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा पत्रांक–9–20/2022 दिनांक–20 मई 2022 के द्वारा 6400 है0 में रु0 796.42 लाख का कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
4. केन्द्र के तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य में ''मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना'' संचालन का अनुमोदन मा0 मंत्रीमण्डल से प्राप्त हो गया है। जिससे अधिक से अधिक कृषकों को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सके।
5. गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ''नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना'' संचालन का अनुमोदन मा0 मंत्रीमण्डल से प्राप्त हो गया है।
6. परम्परागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजनान्तर्गत संचालित जैविक क्लस्टरों में उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जनवरी 2024 तक 275 जैविक आउटलेट स्थापित किये गये है। जैविक कृषि के क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुयी है जो कि जनवरी 2024 तक 2.23 लाख हैक्टेयर हो गया है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 38 प्रतिषत है।

7. लघु, सीमान्त, महिला कृषकों एवं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बढ़ाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। अब तक 2146 फार्म मशीनरी बैंक एवं 303 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये गये हैं। इससे खेती में काम आने वाले पशुओं की कमी एवं मजदूरों की समस्या का समाधान हुआ है। यह कार्यक्रम आगामी वर्ष के लिये भी प्रस्तावित है।
8. प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु राज्य के अथक प्रयास से भारत सरकार द्वारा आतिथि तक राज्य के 25 उत्पादों को जियोग्राफिकल इन्डीकेशन टैग (**GI Tag)** प्रदान किया गया है। यह 18 उत्पाद है– लाल धान, बेरीनाग चाय, गहत, मंडुवा, झंगौरा, बुंराष जूस, काला भटट, चौलाई, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, बिच्छू बूटी फेब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊॅनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्मना मास्क, उत्तराखण्ड लिखाई वुड कार्विंग तथा माल्टा।
9. प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि के तहत कृषकों को कृषि कार्य हेतु कृषि निवेश क्रय किये जाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत पात्र कृषकों को रू० 2000 प्रत्येक किस्त की दर से प्रतिवर्ष रू० 6000 का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान में सक्रिय कृषकों की संख्या 9.37 लाख है तथा अब तक कृषकों के खातों में रू० 2395.79 करोड़ हस्तानान्तरित किए जा चुके हैं। पी0एम0 किसान लाभार्थियों को सुगमता एवं कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितम्बर, 2023 तक 5.74 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत व सामान्य कृषकों को 45 प्रतिशत केन्द्रांश के अतिरिक्तं टॉप अप के रूप में 25 प्रतिशत राजसहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। जिससे कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य हो सका।
11. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पुरुस्कार/प्रशस्ति पत्र वर्ष 2023–24–
    - मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरुस्कार ''इन्टरनेशनल न्यूट्री सिरीयल कन्वेंशन'' में इन्डीयन इन्स्टीटयूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद द्वारा प्रदान किया गया ।
    - ''जैविक इन्डिया अवार्ड'' के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किये गये कार्य हेतु जैविक इन्डिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
    - नैनीताल के ग्राम– सुनकिया ब्लॉक–धारी के प्रगतिशील कृषक– श्री हर्ष सिहं डंगवाल को जैविक कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु ''जैविक इंडिया अवार्ड'' प्रदान किया गया ।
    - उत्तरकाशी जनपद को ''एक जिला–एक उत्पाद'' के तहत पुरे देश में लाल धान फसल हेतु 'द्वितीय श्रेणी' से भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

- प्रघानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद हरिद्वार को पूरे देश में 'मध्यम श्रेणी' में 'प्रथम स्थान' प्राप्त होने पर भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।
- प्रघानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद टिहरी गढवाल को पूरे देश में 'मध्यम श्रेणी' में 'द्वितीय स्थान' प्राप्त होने पर भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

12. वर्ष 2023–24 में कृषि ड्रोन वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
13. परम्परागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजनान्तर्गत संचालित जैविक क्लस्टरों में उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट को जनपदों में खोलने हेतु कार्यवाही गतिमान है। इससे जैविक कृषि से जोडे कृषको को अपना उत्पाद स्थानीय स्तर पर ही बिक्री किये जाने मे सहायता मिलेगी तथा उनको उचित मूल्य भी प्राप्त हो पायेगा। आतिथि तक 275 जैविक आउटलेट खोले जा चुके है।
14. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनान्तर्गत सत्यापित बीज **(Truthful Level Seed)** वितरण हेतु पॉच वर्ष के लिये रु0 2059.27 कार्ययोजना पर मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अन्तर्गत स्थानीय फसल यथा– राजमा, गहत, तोर, रामदाना, लाल धान, स्थानीय मक्का, भटट, कौणी, उगल/फाफर सम्मिलित है। कृषक समूह/कृषकों को राज्य पोषित–स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनान्तर्गत सत्यापित बीज वितरण 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
15. विद्यालयी मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम **(School Soil Health Program)-** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत–सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, आई0सी0ए0आर0 तथा राज्यों के सहयोग से वर्ष 2023–24 में पायलट परियोजना संचालित की गयी, जिससे छात्र सतत कृषि में मृदा स्वास्थ्य के महत्व के विषय में जागरुक हो सकें, उत्तराखण्ड राज्य से जनपद देहरादून का एफ0आर0आई0 स्थित केन्द्रीय विद्यालय का चयन किया गया। चिन्हित विद्यालयों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत–सरकार द्वारा मृदा परीक्षण मशीन/किट स्थापित की गयी, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों के लिए मॉड्यूल विकसित किए गए जोकि शिक्षकों और छात्रों को वितरित किये गये। वर्ष 2024–25 में 17 विद्यालयों का चयन किया गया है।
16. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत गत 5 वर्षों (2018–19 से 2022–23) में 5.89 लाख कृषक बीमित हुये, खरीफ 2022 तक 1,26,355 कृषकों को रू0 2962.00 लाख क्षतिपूर्ति की गई। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाने हेतु बीमा संसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर कर दिया गया है।
17. प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है। गत 5 वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुयी है जो कि वर्तमान में बढ़कर 2.23 लाख हैक्टेयर हो गया है, जो कि कुल कृषि क्षेत्रफल का 38 प्रतिशत है। जैविक कृषि क्षेत्रफल बढ़ाने का आगामी वर्ष भी निरन्तर प्रयास किया जायेगा। विभिन्न योजना अन्तर्गत 4485 जैविक क्लस्टर संचालित किये जा रहे है।

18. गत 5 वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ''रफ्तार'' (आर0के0वी0वाई0) के अन्तर्गत 18 विभागों की 70 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 61 परियोजनायें पूर्ण हुयी तथा 09 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है।

19. भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 3 वर्षों में 300 कृषक उत्पादक समूह गठन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2022–23 में नाबार्ड द्वारा 31, एस0एफ0ए0सी0 द्वारा 51, नैफेड द्वारा 31, एन0सी0डी0सी0 द्वारा 25, एन0डी0डी0बी0 द्वारा 2, ट्राइफेड द्वारा 2 कुल 142 एफ0पी0ओ0 का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में 158 एफ0पी0ओ0 का गठन आगामी वर्षों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी (एफ0पी0ओ0) तैयार की जा रही है।

20. पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय जलवायु के अनुरूप उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थानीय कृषकों के प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। गत 6 वर्षो में 12655 कुंतल बीज उत्पादित किया गया।

21. फार्म गेट तथा एग्रीगेशन प्वांइट्स पर फसल कटाई के उपरान्त प्रसंस्करण आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे–कोल्ड स्टोरेज, कलैक्षन सेन्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के अन्तर्गत प्रदेश को रू0 785 करोड़ का आवंटन किया गया है जिसके क्रम में आतिथि तक कुल 468 (रू0 343.00 करोड़) आवेदन प्राप्त हुए है। इस धनराशि से इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, कृषक समूह, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स आदि को ऋण दिया जायेगा, जिसपर कार्यवाही गतिमान है।

22. हिल सीड प्रोडक्शन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति (UGVS) के अन्तर्गत रीप (REAP) से समन्वय स्थापित करते हुए प्रमाणित बीजों का उत्पादन करना।

विभिन्न कार्यो/कार्यक्रमों/योजनाओं आदि की संतप्तीकरण योजना–

क्रस	प्रमुख पहल/योजना	वर्तमान स्थिति	समयावधि			अद्यतन कार्यवाही/ योजना का नाम
			2024–26	2026–28	2028–30	
1	पर्वतीय क्षेत्रो के परम्परागत/स्थानीय फसलों का बीजों को प्रोत्साहन					
	परम्परागत फसलों का सत्यापित बीज वितरण पर अनुदान	शून्य	2398 कु0	2398 कु0	3000 कु0	स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम
2	गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश हेतु उर्वरक/बीज/कीटनाशी प्रयोगशालाओं का NABL मान्यता	शून्य	2	3	–	आर0के0वी0वाई0/ सी0एम0–आर0के0वी0वाई 0
3	पर्वतीय क्षेत्रों मे सिचांई क्षेत्रफल मे वृद्वि– सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से	30000 है0	36200 है0	50000 है0	72280 है0	पी0एम0के0एस0वाई0
4	ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर संकर मक्का फसल को प्रोत्साहित करना	150 है0	1000 है0	16500 है0	–	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना
5	फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापना करना।	2449 ग्राम पंचायत संतृप्त	3800 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	5000 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	6787 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	एस0एम0ए0एम0/ सी0एम0–आर0के0वी0वाई 0/एस0पी0ए0आर
6	भौगेलिक पहचान (GI) टैग प्रदान करना	12 कृषि उत्पाद	10 संख्या	10 संख्या	–	जैविक बोर्ड द्वारा
7	मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करना					स्टेट मिलेट मिशन तथा विभिन्न योजनाओ से अभिसरण के द्वारा
	(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा एवं सॉवा फसल का क्रय कर	2000 मै0टन	5000 मै0टन	10000 मै0 टन	–	
	(ख) उत्पादकता में वृद्वि कर	14.50 कु0/है0	18.00 कु0/है0	25.00 कु0/है0	28.00 कु0/है0	
8	कृषक उत्पादक संगठन का गठन (एफ0पी0ओ0)					कृषक उत्पादक संगठन गठन कार्यक्रम के तहत
	(क) भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत	142	158 संख्या	–	–	
	(ख) राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत	शून्य	राज्य पॉलिसी	50 संख्या		
9	प्राकृतिक खेती का संचालन	शून्य	0.30 लाख कृषक	1.00 लाख कृषक	–	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
10	जैविक खेती	2.23 लाख है0	2.50 लाख है0	3.20 लाख है0	–	जैविक कृषि कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित बजट प्राविधान

1–केन्द्रपोषित योजनायें :–

धनराशि लाख रू0 में

dz0 la0	;kstuk dk uke	vuq0 la0	ys[kk'kh"kZd	izLrkfor ctV 2024&25			अभियुक्ति
				dsUnzka'k	jkT;ka'k	;ksx	
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -2441**	**17**	2401-00-001-01-01	3517.80	0.00	3517.80	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-01	0.00	390.87	390.87	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-01	856.90	0.00	856.90	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-01	0.00	95.21	95.21	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-08	135.30	0.00	135.30	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-08	0.00	15.03	15.03	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**4510.00**	**501.11**	**5011.11**	
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code - 2425**	**17**	2401-00-001-01-03	1383.72	0.00	1383.72	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-03	0.00	153.75	153.75	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-02	337.06	0.00	337.06	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-02	0.00	37.45	37.45	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-01	53.22	0.00	53.22	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-01	0.00	5.91	5.91	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**1774.00**	**197.11**	**1971.11**	
3	रेनफेड एरिया डैवलपमैंट (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK20**	**17**	2401-00-001-01-04	877.50	0.00	877.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-04	0.00	97.50	97.50	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-03	213.75	0.00	213.75	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-03	0.00	23.75	23.75	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-02	33.75	0.00	33.75	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-02	0.00	3.75	3.75	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**1125.00**	**125.00**	**1250.00**	
4	पर ड्राप मोर काप (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई येाजना) (90 प्र0के0 पो0) **PFMS State code -2590**	**17**	2401-00-001-01-05	4095.00	0.00	4095.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-05	0.00	455.00	455.00	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-05	997.50	0.00	997.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-05	0.00	110.83	110.83	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-04	157.50	0.00	157.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-04	0.00	17.50	17.50	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**5250.00**	**583.33**	**5833.33**	
5	स्वाईल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटि (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK 40**	**17**	2401-00-001-01-07	446.94	0.00	446.94	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-07	0.00	49.65	49.65	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-07	108.87	0.00	108.87	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-07	0.00	12.10	12.10	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-06	17.19	0.00	17.19	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-06	0.00	1.91	1.91	10 प्रतिशत राज्यांश

		योग		**573.00**	**63.66**	**636.66**	
6	परम्परागत कृषि विकास येाजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK36**	**17**	2401-00-001-01-08	3510.00	0.00	3510.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-08	0.00	390.00	390.00	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-08	855.00	0.00	855.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-08	0.00	95.00	95.00	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-07	135.00	0.00	135.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-07	0.00	15.00	15.00	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**4500.00**	**500.00**	**5000.00**	
7	नैशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग(90 प्र0के0पो0)	**17**	2401-00-001-01-11	366.62	0.00	366.62	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-11	0.00	40.74	40.74	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-10	89.30	0.00	89.30	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-10	0.00	9.92	9.92	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-10	14.10	0.00	14.10	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-10	0.00	1.56	1.56	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**470.02**	**52.22**	**522.24**	
8	नमामि गंगे क्लीन अभियान– आर0के0वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code – UK 327**	**17**	2401-00-001-01-12	4000.00	0.00	4000.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-12	0.00	444.44	444.44	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.01	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-11	0.00	0.02	0.02	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.01	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-11	0.00	0.02	0.02	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**4000.02**	**444.48**	**4444.50**	
9	कृषि वानिकी– आर0के0वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -**	**17**	2401-00-001-01-13	78.00	0.00	78.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-13	0.00	8.67	8.67	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-001-01-13	19.00	0.00	19.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-13	0.00	2.11	2.11	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-001-01-13	3.00	0.00	3.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-001-95-13	0.00	0.33	0.33	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**100.00**	**11.11**	**111.11**	
10	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइेजेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK24**	**17**	2401-00-109-01-02	4875.00	0.00	4875.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-02	0.00	541.67	541.67	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-109-01-01	1187.50	0.00	1187.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-01	0.00	131.94	131.94	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-109-01-01	187.50	0.00	187.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-01	0.00	20.83	20.83	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**6250.00**	**694.44**	**6944.44**	
11	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code**	**17**	2401-00-109-01-03	780.00	0.00	780.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-03	0.00	86.67	86.67	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-109-01-02	190.00	0.00	190.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-02	0.00	21.11	21.11	10 प्रतिशत राज्यांश

	-UK22	**31**	2401-00-109-01-02	30.00	0.00	30.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-02	0.00	3.33	3.33	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**1000.00**	**111.11**	**1111.11**	
12	नैशनल ई0 गवर्नर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK33**	**17**	2401-00-109-01-04	140.40	0.00	140.40	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-04	0.00	15.60	15.60	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-109-01-03	34.20	0.00	34.20	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-03	0.00	3.80	3.80	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-109-01-03	5.40	0.00	5.40	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-03	0.00	0.60	0.60	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**180.00**	**20.00**	**200.00**	
13	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK23**	**17**	2401-00-109-01-05	1462.50	0.00	1462.50	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-05	0.00	162.50	162.50	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-109-01-04	356.25	0.00	356.25	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-04	0.00	39.58	39.58	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-109-01-04	56.25	0.00	56.25	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-109-95-04	0.00	6.25	6.25	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**1875.00**	**208.33**	**2083.33**	
14	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (100 प्र0के0पो0)	**17**	2401-00-109-01-06	50.00	0.00	50.00	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
		30	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.01	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
		31	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.01	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
		योग		**50.02**	**0.00**	**50.02**	
15	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (50 प्र0के0पो0)	**17**	2401-00-110-01-01	0.01	0.00	0.01	50 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजनाओं का राज्यांश। (50 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार से सीधे बीमा कम्पनियों को मिल जाता है)
			2401-00-110-95-01	0.00	100.00	100.00	
		योग		**0.01**	**100.00**	**100.01**	
16	प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली–**नई योजना** (100 प्र0के0पो0)	**17**	2401-00-110-01-02	0.00	0.00	0.00	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-110-95-01	0.00	0.00	0.00	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
17	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	**17**	2401-00-111-01-04	0.01	0.00	0.01	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-111-01-05	60.19	0.00	60.19	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-111-01-06	-60.19	0.00	-60.19	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
		योग		**0.01**	**0.00**	**0.01**	
18	राष्ट्रीय आयल सीड एण्ड आयल पाम मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK8**	**17**	2401-00-114-01-03	76.99	0.00	76.99	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-114-95-03	0.00	8.56	8.56	10 प्रतिशत राज्यांश
		30	2401-00-114-01-01	18.75	0.00	18.75	90 प्रतिशत केन्द्र पेषित
			2401-00-114-95-01	0.00	2.08	2.08	10 प्रतिशत राज्यांश
		31	2401-00-114-01-01	2.96	0.00	2.96	90 प्रतिशत केन्द्र

							पेषित
			2401-00-114-95-01	0.00	0.33	0.33	10 प्रतिशत राज्यांश
		योग		**98.70**	**10.97**	**109.67**	
19	नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड (100 प्र0के0पो0)	**17**	2401-00-114-01-04	2.01	0.00	2.01	100 प्रतिशत केन्द्र पेषित
		योग		**2.01**	**0.00**	**2.01**	
योग (केन्द्रपोषित योजनाऐं)		**17**	केन्द्रांश	**25662.50**	**0.00**	**25662.50**	
			राज्यांश	**0.00**	**2945.62**	**2945.62**	
		30	केन्द्रांश	**5264.10**	**0.00**	**5264.10**	
			राज्यांश	**0.00**	**584.90**	**584.90**	
		31	केन्द्रांश	**831.19**	**0.00**	**831.19**	
			राज्यांश	**0.00**	**92.35**	**92.35**	
		महायोग		**31757.79**	**3622.87**	**35380.66**	

2– राज्य सेक्टर की योजनाएं :–

धनराशि लाख रू0 में

कं0सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	प्रस्तावित बजट प्राविधान
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	17	2401-00-001-04-00	13855.85
2	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-001-05-00	721.06
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	17	2401-00-001-07-00	78.92
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	17	2401-00-001-08-00	1000.00
5	राज्य किसान आयोग का गठन	17	2401-00-001-12-00	55.50
6	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	17	2401-00-001-15-00	0.01
7	कृषकों की आय दोगुना करना	17	2401-00-001-16-00	0.01
8	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	17	2401-00-001-18-00	3500.00
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	17	2401-00-001-19-00	9.25
10	कृषि उत्पाद समूह	17	2401-00-001-20-00	0.03
11	राज्य मिलेट्स मिशन	17	2401-00-001-22-00	700.00
12	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	17	2401-00-102-03-00	575.00
13	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	17	2401-00-103-03-00	55.00
14	जैविक उत्पाद परिषद	17	2401-00-105-04-00	150.00
15	सूचना सलाह केन्द्रो का सुद्ढीडीकरण	17	2401-00-109-04-00	12.37
16	कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण	17	2401-00-111-02-00	100.00
17	4401 –खाद्यान्न/दलहन/ तिलहन बीजों का क्रय	17	4401-00-103-03-00	1800.00
18	4401–कीटनाशक औषधियों का क्रय	17	4401-00-107-03-00	1500.00
19	4401–विभागीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	17	4401-00-800-05-00	100.00
20	4401–नाबार्ड सहायतित–आर0आई0डी0एफ0	17	4401-00-800-95-01	2245.00
21	अनु0जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	30	2401-00-102-02-05	600.00
22	अनु0 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	31	2401-00-102-02-02	250.00
योग (राज्य सेक्टर)		**17**		**26458.00**
		30		**600.00**
		31		**250.00**

	योग	**27308.00**
योग (कैन्द्रपोषित +राज्य पाषित)	**17**	**55066.12**
	30	**6449.00**
	31	**1173.54**
	योग	**62688.66**
पूँजीगत		**5645.00**
राजस्व		**57043.66**
महायोग		**62688.66**

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

1– केन्द्रपोषित योजनाएं–

धनराशि लाख रू0 में

क0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	प्रस्तावित बजट 2024–25			प्राप्त वार्षिक बजट 2024–25		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -2441**	17	2401-00-001-01-01	3517.80	0.00	3517.80	2500.00	0.00	2500.00
			2401-00-001-95-01	0.00	390.87	390.87	0.00	250.00	250.00
		30	2401-00-001-01-01	856.90	0.00	856.90	900.00	0.00	900.00
			2401-00-001-95-01	0.00	95.21	95.21	0.00	96.00	96.00
		31	2401-00-001-01-08	135.30	0.00	135.30	135.00	0.00	135.00
			2401-00-001-95-08	0.00	15.03	15.03	0.00	16.00	16.00
		योग		**4510.00**	**501.11**	**5011.11**	**3535.00**	**362.00**	**3897.00**
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code - 2425**	17	2401-00-001-01-03	1383.72	0.00	1383.72	1000.00	0.00	1000.00
			2401-00-001-95-03	0.00	153.75	153.75	0.00	100.00	100.00
		30	2401-00-001-01-02	337.06	0.00	337.06	380.00	0.00	380.00
			2401-00-001-95-02	0.00	37.45	37.45	0.00	38.00	38.00
		31	2401-00-001-01-01	53.22	0.00	53.22	54.00	0.00	54.00
			2401-00-001-95-01	0.00	5.91	5.91	0.00	6.00	6.00
		योग		**1774.00**	**197.11**	**1971.11**	**1434.00**	**144.00**	**1578.00**
3	रेनफेड एरिया डैवलपमैंट (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK20**	17	2401-00-001-01-04	877.50	0.00	877.50	700.00	0.00	700.00
			2401-00-001-95-04	0.00	97.50	97.50	0.00	70.00	70.00
		30	2401-00-001-01-03	213.75	0.00	213.75	215.00	0.00	215.00
			2401-00-001-95-03	0.00	23.75	23.75	0.00	24.00	24.00
		31	2401-00-001-01-02	33.75	0.00	33.75	34.00	0.00	34.00
			2401-00-001-95-02	0.00	3.75	3.75	0.00	4.00	4.00
		योग		**1125.00**	**125.00**	**1250.00**	**949.00**	**98.00**	**1047.00**
4	पर ड्राप मोर काप (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई येाजना) (90 प्र0के0 पो0) **PFMS State code -2590**	17	2401-00-001-01-05	4095.00	0.00	4095.00	3000.00	0.00	3000.00
			2401-00-001-95-05	0.00	455.00	455.00	0.00	300.00	300.00
		30	2401-00-001-01-05	997.50	0.00	997.50	100.00	0.00	100.00
			2401-00-001-95-05	0.00	110.83	110.83	0.00	110.00	110.00
		31	2401-00-001-01-04	157.50	0.00	157.50	158.00	0.00	158.00
			2401-00-001-95-04	0.00	17.50	17.50	0.00	18.00	18.00
		योग		**5250.00**	**583.33**	**5833.33**	**3258.00**	**428.00**	**3686.00**
5	स्वाईल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटि (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK 40**	17	2401-00-001-01-07	446.94	0.00	446.94	300.00	0.00	300.00
			2401-00-001-95-07	0.00	49.65	49.65	0.00	30.00	30.00
		30	2401-00-001-01-07	108.87	0.00	108.87	110.00	0.00	110.00
			2401-00-001-95-07	0.00	12.10	12.10	0.00	13.00	13.00
		31	2401-00-001-01-06	17.19	0.00	17.19	18.00	0.00	18.00
			2401-00-001-95-06	0.00	1.91	1.91	0.00	2.00	2.00

		योग		**573.00**	**63.66**	**636.66**	**428.00**	**45.00**	**473.00**
6	परम्परागत कृषि विकास येाजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK36**	17	2401-00-001-01-08	3510.00	0.00	3510.00	2500.00	0.00	2500.00
			2401-00-001-95-08	0.00	390.00	390.00	0.00	250.00	250.00
		30	2401-00-001-01-08	855.00	0.00	855.00	500.00	0.00	500.00
			2401-00-001-95-08	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00
		31	2401-00-001-01-07	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00
			2401-00-001-95-07	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00
		योग		**4500.00**	**500.00**	**5000.00**	**3135.00**	**360.00**	**3495.00**
7	**नैशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग(90 प्र0के0पो0)**	17	2401-00-001-01-11	366.62	0.00	366.62	200.00	0.00	200.00
			2401-00-001-95-11	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	40.74
		30	2401-00-001-01-10	89.30	0.00	89.30	89.30	0.00	89.30
			2401-00-001-95-10	0.00	9.92	9.92	0.00	9.92	9.92
		31	2401-00-001-01-10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10
			2401-00-001-95-10	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	1.56
		योग		**470.02**	**52.22**	**522.24**	**303.40**	**52.22**	**355.62**
8	**नमामि गंगे क्लीन अभियान– आर0के0वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0) PFMS State code –UK327**	17	2401-00-001-01-12	4000.00	0.00	4000.00	2500.00	0.00	2500.00
			2401-00-001-95-12	0.00	444.44	444.44	0.00	250.00	250.00
		30	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
			2401-00-001-95-11	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
		31	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
			2401-00-001-95-11	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
		योग		**4000.02**	**444.48**	**4444.50**	**2500.02**	**250.04**	**2750.06**
9	**कृषि वानिकी– आर0के0वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0) PFMS State code -**	17	2401-00-001-01-13	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
			2401-00-001-95-13	0.00	8.67	8.67	0.00	8.67	8.67
		30	2401-00-001-01-13	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
			2401-00-001-95-13	0.00	2.11	2.11	0.00	2.11	2.11
		31	2401-00-001-01-13	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
			2401-00-001-95-13	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33
		योग		**100.00**	**11.11**	**111.11**	**100.00**	**11.11**	**111.11**
10	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK24**	17	2401-00-109-01-02	4875.00	0.00	4875.00	2500.00	0.00	2500.00
			2401-00-109-95-02	0.00	541.67	541.67	0.00	200.00	200.00
		30	2401-00-109-01-01	1187.50	0.00	1187.50	600.00	0.00	600.00
			2401-00-109-95-01	0.00	131.94	131.94	0.00	132.00	132.00
		31	2401-00-109-01-01	187.50	0.00	187.50	188.00	0.00	188.00
			2401-00-109-95-01	0.00	20.83	20.83	0.00	21.00	21.00
		योग		**6250.00**	**694.44**	**6944.44**	**3288.00**	**353.00**	**3641.00**
11	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK22**	17	2401-00-109-01-03	780.00	0.00	780.00	500.00	0.00	500.00
			2401-00-109-95-03	0.00	86.67	86.67	0.00	50.00	50.00
		30	2401-00-109-01-02	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00
			2401-00-109-95-02	0.00	21.11	21.11	0.00	21.00	21.00
		31	2401-00-109-01-02	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
			2401-00-109-95-02	0.00	3.33	3.33	0.00	3.30	3.30
		योग		**1000.00**	**111.11**	**1111.11**	**720.00**	**74.30**	**794.30**
12	नैशनल ई0 गवर्ननैंस प्लान एग्रीकल्चर (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK33**	17	2401-00-109-01-04	140.40	0.00	140.40	140.40	0.00	140.40
			2401-00-109-95-04	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60
		30	2401-00-109-01-03	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20
			2401-00-109-95-03	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80
		31	2401-00-109-01-03	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40
			2401-00-109-95-03	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60
		योग		**180.00**	**20.00**	**200.00**	**180.00**	**20.00**	**200.00**
13	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State**	17	2401-00-109-01-05	1462.50	0.00	1462.50	1000.00	0.00	1000.00
			2401-00-109-95-05	0.00	162.50	162.50	0.00	100.00	100.00
		30	2401-00-109-01-04	356.25	0.00	356.25	356.00	0.00	356.00
			2401-00-109-95-04	0.00	39.58	39.58	0.00	40.00	40.00
		31	2401-00-109-01-04	56.25	0.00	56.25	57.00	0.00	57.00
			2401-00-109-95-04	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	6.25

	code -UK23	**योग**		**1875.00**	**208.33**	**2083.33**	**1413.00**	**146.25**	**1559.25**
14	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-06	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
		30	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		31	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		योग		**50.02**	**0.00**	**50.02**	**50.02**	**0.00**	**50.02**
15	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (50 प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
			2401-00-110-95-01	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		योग		**0.01**	**100.00**	**100.01**	**0.01**	**100.00**	**100.01**
16	प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली–**नई योजना** (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
			2401-00-110-95-01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
		योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**10.00**	**10.01**
17	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	17	2401-00-111-01-05	0.01	0.00	0.01	100.00	0.00	100.00
			2401-00-111-01-06	60.19	0.00	60.19	66.14	0.00	66.14
			2401-00-111-01-07	-60.19	0.00	-60.19	-66.14	0.00	-66.14
		योग		**0.01**	**0.00**	**0.01**	**100.00**	**0.00**	**100.00**
18	राष्ट्रीय आयल सीड एण्ड आयल पाम मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK8**	17	2401-00-114-01-03	76.99	0.00	76.99	77.00	0.00	77.00
			2401-00-114-95-03	0.00	8.56	8.56	0.00	2.00	2.00
		30	2401-00-114-01-01	18.75	0.00	18.75	19.00	0.00	19.00
			2401-00-114-95-01	0.00	2.08	2.08	0.00	2.00	2.00
		31	2401-00-114-01-01	2.96	0.00	2.96	3.00	0.00	3.00
			2401-00-114-95-01	0.00	0.33	0.33	0.00	0.30	0.30
		योग		**98.70**	**10.97**	**109.67**	**99.00**	**4.30**	**103.30**
19	नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-114-01-04	2.01	0.00	2.01	9.00	0.00	9.00
		योग		**2.01**	**0.00**	**2.01**	**9.00**	**0.00**	**9.00**
योग (केन्द्रपोषित योजनाऐं)		17	केन्द्रांश	**25662.50**	**0.00**	**25662.50**	**17154.42**	**0.00**	**17154.42**
			राज्यांश	**0.00**	**2945.62**	**2945.62**	**0.00**	**1777.01**	**1777.01**
		30	केन्द्रांश	**5264.10**	**0.00**	**5264.10**	**3512.52**	**0.00**	**3512.52**
			राज्यांश	**0.00**	**584.90**	**584.90**	**0.00**	**586.85**	**586.85**
		31	केन्द्रांश	**831.19**	**0.00**	**831.19**	**834.52**	**0.00**	**834.52**
			राज्यांश	**0.00**	**92.35**	**92.35**	**0.00**	**94.36**	**94.36**
		योग		**31757.79**	**3622.87**	**35380.66**	**21501.46**	**2458.22**	**23959.68**

2– राज्य सेक्टर योजनाएं–

धनराशि लाख रू0 में

कं0सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	प्रस्तावित बजट प्राविधान	प्राप्त वार्षिक बजट प्राविधान
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	17	2401-00-001-04-00	13855.85	13661.25
2	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-001-05-00	721.06	719.06
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	17	2401-00-001-07-00	78.92	70.92
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	17	2401-00-001-08-00	1000.00	1000.00
5	राज्य किसान आयोग का गठन	17	2401-00-001-12-00	55.50	55.50
6	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	17	2401-00-001-15-00	0.01	0.01
7	कृषकों की आय दोगुना करना	17	2401-00-001-16-00	0.01	0.01
8	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	17	2401-00-001-18-00	3500.00	3500.00

9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	17	2401-00-001-19-00	9.25	9.25
10	कृषि उत्पाद समूह	17	2401-00-001-20-00	0.03	0.01
11	राज्य मिलेट्स मिशन	17	2401-00-001-22-00	700.00	700.00
12	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	17	2401-00-102-03-00	575.00	575.00
13	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	17	2401-00-103-03-00	55.00	55.00
14	जैविक उत्पाद परिषद	17	2401-00-105-04-00	150.00	150.00
15	सूचना सलाह केन्द्रो का सुद्ढीडीकरण	17	2401-00-109-04-00	12.37	12.37
16	कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण	17	2401-00-111-02-00	100.00	50.00
17	4401 –खाद्यान्न/दलहन/ तिलहन बीजों का क्रय	17	**4401-00-103-03-00**	1800.00	1500.00
18	4401–कीटनाशक औषधियों का क्रय	17	**4401-00-107-03-00**	1500.00	1500.00
19	4401–विभागीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	17	**4401-00-800-05-00**	100.00	50.00
20	4401–नाबार्ड सहायतित–आर0आई0डी0एफ0	17	**4401-00-800-98-01**	2245.00	3000.00
21	अनु0जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	**30**	2401-00-102-02-05	600.00	500.00
22	अनु0 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	**31**	2401-00-102-02-02	250.00	200.00
योग (राज्य सैक्टर)		**17**		26458.00	26608.38
		30		600.00	500.00
		31		250.00	200.00
		योग		**27308.00**	**27308.38**
योग (कैन्द्रपोषित +राज्य पाषित)		**17**		55066.12	45539.81
		30		6449.00	4599.37
		31		1173.54	1128.88
		योग		**62688.66**	**51268.06**
पूँजीगत				**5645.00**	**6050.00**
राजस्व				**57043.66**	**45218.06**
महायोग				**62688.66**	**51268.06**

–उद्देश्य–

उत्पादक क्षेत्रों की सतत् उत्पादकता बनाये रखते हुये कम उत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास करना। उन्नत प्रजाति के बीजों, उन्नत यंत्रों, कृषि निवेशों एवं उत्पादक स्रोतों की उचित व्यवस्था। दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं नवीनतम कृषि तकनीकियों का प्रचार–प्रसार। मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन, क्लस्टर आधारित कृषि के प्रोत्साहन तथा जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। टिकाऊ कृषि प्रणालियां अपनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने वाली लचीली कृषि क्रियाओं के पारस्परिक तन्त्र को बनाये रखना। नमी संरक्षण, भूमि एवं जल संरक्षण के उपाय करना। प्रेसिसियन सिंचाई एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि करना। कृषि विविधीकरण एवं मूल्य संवर्द्धन से रोजगार के अवसर पैदा करना। जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं में अनुकूलन क्षमता को मजबूत करने वाली कृषि पद्धतियां अपनाना। आपदाओं तथा अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की समय से क्षति–पूर्ति कराना। विभिन्न केन्द्रपोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं में आय परख कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये, उत्पादन के लाभकारी विपणन से कृषकों की आय में वृद्धि के उपाय करना।

विभागीय कार्यक्रमों का कार्य–दायित्व

- उन्नत बीजों तथा नवीनतम कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करना।
- न्याय–पंचायत स्तरीय कृषि निवेश केन्द्रों पर खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों की बुवाई से पूर्व निवेशों की आवश्यक मात्रा में पूर्ति करना, ताकि कृषकों को उनके नजदीकी केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश यथा–बीज, कीट–रोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक आदि समय से उपलब्ध हो सकें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुति के अनुसार संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- प्रदर्शन, प्रशिक्षण, गोष्ठीयों एवं अध्ययन भ्रमण के माध्यम से कृषकोपयोगी कल्याणकारी योजनाओं, नवनीतम कृषि पद्धतियों एवं तकनीकों का कृषकों एवं कृषक प्रक्षेत्रों तक व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- लघु एवं सीमान्त जोतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विविधीकरण, मूल्य संवर्द्धन तथा केन्द्र एवं राज्य–पोषित योजनाओं में आयपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित से कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत पौष्टिक अनाजों एवं प्रदेश की विशिष्ट फसलों का पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण।
- लघु, सीमांत, महिला कृषक एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कम मूल्य पर यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करना।
- जल संचय संरचनाओं का निर्माण, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन को रोकना, जल के समुचित प्रयोग हेतु प्रेसिशियन सिंचाई पद्धतियों एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि करना।
- अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ना। किसान सम्मान नीधि योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना ताकि उन्हें खेती हेतु सुगमता से अनुदानित ब्याज पर ऋण प्राप्त हो सके।
- अतिवृष्टि, भूस्खलन आदि से कृषि भूमि के क्षरण को बचाने हेतु मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना।
- कृषकों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश–1957, कीटनाशी अधिनियम–1968 एवं बीज अधिनियम–1966 के अंतर्गत समय–समय पर उर्वरकों, रसायनों एवं बीजों के नमूनों का प्रयोगशालाओं में प्रमाणिक परीक्षण कराना।
- राज्य में कृषि फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन करना।
- कृषि में उच्च तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचना एवं संचार तंत्र का प्रयोग।
- केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं का सही क्रियान्वयन करते हुये धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित करना। कृषि से जुड़े रेखीय विभागों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, शोध संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कृषि विकास को गति देना।
- मिलेट फसलों को राज्य मिलेट मिशन कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय फसलों का संरक्षण, सत्यापित बीजों का वितरण तथा भौगोलिक पहचान प्रदान करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की स्थिति का विवरण

20 फरवरी, 2024

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/वेतनबैण्ड	वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	37400–67000–10000	15	1	0	1	–
2	अपर कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	37400–67000–8700	13	2	2	0	–
3	लेखा एवं वित्त नियंत्रक (श्रेणी–1)	37400–67000–8700		1	1	0	–
4	संयुक्त कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	15600–39100–7600	12	5	4	1	डी0पी0सी0 में 01 पद आरक्षित रखा गया है।
5	उप कृषि निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी–1)	15600–39100–6600	11	18	17	1	01 पद के सापेक्ष पात्र अधिकारी उपलब्ध नही है।
6	सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी–2)	15600–39100–5400	10	68	51	17	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से सीधी भर्ती के 07 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। सीधी भर्ती के 05 पद पदोन्नति उपरान्त रिक्त है जिसका अधियाचन भेजा जा रहा है। 02 पदों पर DPC हो चुकी है। 01 पद पर पदोन्नति फॉरगो। 01 पद 31.12.2023 को सेवानिवृत्त।
7	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100–5400	10	2	2	0	–
8	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100–5400		16	16	0	–
9	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800–4800	8	3	3	0	–
10	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4800		22	22	0	–
11	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4600	7	4	4	0	–
12	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600		22	22	0	–
13	अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–1	9300–34800–4600	7	29	28	1	रिक्त 01 पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।
14	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	9300–34800–4600	7	233	159	74	1.सीधी भर्ती के रिक्त 34 पदों का अधियाचन आयोग को प्रेषित किया गया है। 2. निदेशालय के पत्रांक–563 दिनांक–07.06.2021 द्वारा रसायन शाखा (सीधी भर्ती) के रिक्त 07 पदों हेतु अधियाचन अधिनस्थ चयन सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। 3. रसायन शाखा में सेवानिवृत्ति के कारण 12 पद रिक्त है, शिथिलीकरण के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। 4.विकास शाखा के रिक्त 17 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
15	प्राविधिक सहायक	9300–34800–4600		3	0	3	निदेशालय के पत्रांक–2545 दिनाक 1.09.21 के द्वारा अधियाचन अधिनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है।
16	कनिष्ठ अभियन्ता	9300–34800–4600		54	12	42	लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु अधियाचन भेजा गया है।।
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–2	9300–34800–4200	6	44	6	38	निदेशालय के पत्रांक 3505 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा रिक्त 38 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग हरिद्वार को

							प्रेषित किया गया है।
18	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800–4200		9	8	1	पदोन्नति फारगो किये जाने के कारण पद रिक्त है तथा पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
19	लेखाकार	9300–34800–4200		20	16	4	पदोन्नति हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
20	वरिष्ठ मानचित्रक	9300–34800–4200	**6**	4	2	2	–
21	मानचित्रक	9300–34800–4200		26	3	23	लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु अधियाचन भेजा गया है।।
22	प्रधान सहायक	9300–34800–4200		49	44	5	रिक्त 05 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।
23	वैयक्तिक सहायक	5200–20200–2800		12	3	9	निदेशालय के पत्रांक 6529 दिनांक 16.12.2015 के द्वारा 06 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। जिसमें से 02 कार्मिकों द्वारा योगदान किया जा चुका है। रिक्त 05 पदों पर अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्रांक 2250 दिनांक 17.08.2021 को प्रेषित किया गया है।
24	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	5200–20200–2800	**5**	404	193	211	सहायक कृषि अधिकारी व्रर्ग–2 शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद है। कार्मिकों की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हुये है। पोषक संवर्ग वर्ग–3 से पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक नही है।
25	राजस्व निरीक्षक	5200–20200–2800		13	13	0	–
26	संगणक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200–2800		4	1	3	रिक्त 3 पदों का अधियाचन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान हैं
27	सहायक लेखाकार	5200–20200–2800	**5**	69	0	69	68 चयनित अभ्यर्थियों की सूची के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।
28	वरिष्ठ सहायक	5200–20200–2800	**5**	77	75	2	–
29	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	5200–20200–2400	**4**	483	128	355	1. निदेशालय के पत्रांक 3506 दि0 18.09.2023 के द्वारा 354 रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।
30	वरिष्ठ कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–2000		1	0	1	कृषि रक्षा यांत्रिक से पदोन्नति की जाती है। कृषि रक्षा यांत्रिक का पद मृत कैडर
31	कनिष्ठ सहायक	5200–20200–2000	**3**	88	68	20	31 मृतक आश्रित अधिसंख्यक है। समायोजन की कार्यवाही गतिमान है।
32	कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–1900		22	2	20	चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति की जाती है। चतुर्थ श्रेणी मृत कैडर है।
33	अनुरेखक	5200–20200–1900	**2**	37	3	34	उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 के पत्र संख्या–763 दिनांक 20 नवम्बर 2008 के कम में निदेशालय के पत्र संख्या 2369 दिंनाक 24.08.2021 के द्वारा अनुरेखक संर्वग के पदों को मृत घोषित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
34	वाहन चालक	5200–20200–1900		64	17	47	शासन के पत्रांक–2526 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा शासन से वाहन चालक की भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश चाहे गये है। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है।
35	चतुर्थ श्रेणी	5200–20200–1800	**1**	580	154	426	मृत कैडर है तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार कार्मिक रखे गये हैं।
योग				**2489**	**1079**	**1410**	

* मृत कैडर

संचालित योजनायें– वर्ष 2024–25

1–केन्द्रपोषित योजनायेंः–

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
1	प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना– (PM-Kisan) **(100%** केन्द्रपोषित**)**	किसानों को कृषि निवेश एवं अन्य जरूरतों एवं ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिये जो उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाये तथा खेती के कार्य–कलापों में निरन्तरता बनाये रखेने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत रू० 2000.00 प्रति किस्त की दर से 3 किस्तों में रू0 6000.00 प्रति वर्ष सीधे किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाता है। आउटकम– कृषि कार्यकलापों की निरन्तरता बनाये रखना।	किसानों के खाते में सीधे धनराशि भारत सरकार द्वारा भेजी जाती है।
2	प्रधानमन्त्री किसान मानधन योजना (PMKMY)	योजना में 18 से 40 वर्ष आयु तक के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की गयी है। लघु एवं सीमान्त किसान पति–पत्नी अलग–अलग अपनाने के लिये पात्र होंगे। उक्त आयु सीमा के कृषकों को 60 वर्ष की आय पूरी होने तक रू0 55.00 से रू0 200.00 प्रतिमाह अंशदान करना होता है। इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद कृषक को रू0 3000.00 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। आउटकम – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा।	50% अंशदान भारत सरकार द्वारा
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– अन्तर्गत–		
I	रफ्तार **(RKVY-RAFTAAR)** (90 **%** केन्द्रांश एवं 10**%** राज्यांश)	कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा विकास मद की चालू योजनाओं के लिये बजट की कमी को पूरा करना। योजना में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभाग कृषि, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं शोध, लघु सिंचाई, रेशम विकास, दुग्ध विकास, मण्डी, मत्स्य विकास, गन्ना, टी०डी०सी०, जैविक उत्पाद परिषद, कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों आदि की कृषि संवर्गीय परियोजनाओं पर राज्य स्वीकृति समिति के अनुमोदन के अनुसार कार्य संपादित किये जाते हैं। आउटकम– कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।	बजट के माध्यम से
II	**Rainfed Area Development (RAD)**	प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में प्राकृतिक	बजट के माध्यम

	(90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से समेकित कृषि प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित होकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत समेकित कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन, पॉली हाउस, वर्मी कम्पोस्ट एवं साईलेज इकाईयों का निर्माण तथा भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य करने का प्राविधान है। आउटकम– स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणालियों के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलती जलवायु परिवेश के अनुकूल बनाना।	से
III	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता **(SH & F)** (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजनान्तर्गत मृदा नमूनों का एकत्रण, विश्लेषण एवं निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाता है तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गयी संस्तुति के आधार पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जा रहे हैं। कृषकों को मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं स्थापना एवं उनका सुदृढ़ीकरण करते हुये उनमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा सृजन भी किया जाता है। आउटकम– मृदा परीक्षण से पौधों के लिये मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा ज्ञात करना तथा मृदा परीक्षण संस्तुति के अनुसार पोषक तत्वों का प्रयोग।	बजट के माध्यम से
IV	परम्परागत कृषि विकास योजना **(PKVY)** (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में क्लस्टर ऐप्रोच के आधार पर पार्टिसिपेट्री गारन्टी सिस्टम (पी0जी0एस0) प्रमाणीकरण के माध्यम से जैविक कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। योजना में परम्परागत एवं नवीनतम तकनीकी का समावेश कर उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना के अन्तर्गत परम्परागत फसलों, दालों, सब्जियों, रेशम उत्पादन, सगन्ध पौध के कलस्टर चयनित किये गये हैं। सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किये जा रहा है। योजना में कलस्टर गठन, प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान एवं विपणन आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। आउटकम–जैविक कृषि क्षेत्रफल एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	बजट के माध्यम से

V	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन **(SMAM)** (90 **%** केन्द्रांश एवं 10**%** राज्यांश)	कृषि में श्रम एवं लागत में कमी लाने तथा कृषि के आधुनिकीकरण द्वारा शस्य क्रियाओं को समय पर सम्पादित करने, के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण उप मिशन लागू किया गया है। कृषक समूहों को कस्टम हायरिंग तथा फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराते हुये लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ाना। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों के द्वारा प्रचार एवं सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं प्रबंधन के लिये प्रदर्शन, प्रशिक्षण, कृषि यंत्रों, मशीनों, उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आउटकम–अधिक से अधिक कृषकों तक उन्नत तकनीकी कृषि यंत्रों की पहुँच।	बजट के माध्यम से
VI	पर ड्रॉप मोर क्रॉप (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) (90 **%** केन्द्रांश एवं 10**%** राज्यांश)	सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर उपलब्ध जल को संचित कर उसका समुचित उपयोग करना। जल बचत तकनीकों को अपनाते हुये सिंचन क्षमता में वृद्धि करना। ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' के अन्तर्गत जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, जल संवहन यंत्र की आपूर्ति, ट्यूबवैल की स्थापना एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिये सहायता दी जाती है। आउटकम– जल का अपव्यय रोकना, जल संचय, प्रेसिशियन सिंचाई एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि।	बजट के माध्यम से
4	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (FNS)– तत्कालीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– **(NFSM)** (90 **%** केन्द्रांश एवं 10**%** राज्यांश)	चयनित जनपदों में धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाना। इस हेतु फसल प्रदर्शनों का आयोजन, अनुदानित मूल्य पर उन्नत बीजों का वितरण, पौध एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों, जैव उर्वरकों, का वितरण किया जाता है। समेकित कीट प्रबंधन, एवं प्रशिक्षण का आयोजन। कृषि एवं सिंचाई यंत्रों के वितरण पर किसानों को राज सहायता दी जाती है। बीज उत्पादन एवं जल सम्भरण हेतु सामुदायिक टैंक निर्माण आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आउटकम– चयनित जनपदों में धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन की उत्पादकता बढ़ाना।	बजट के माध्यम से
5	नैशनल बैम्बू मिशन	वर्तमान में यह योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।	बजट के माध्यम से
6	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन **(NMAET)**		
I	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल	कृषकों को एक एकड़ क्षेत्रफल में बीजोत्पादन हेतु 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर धान्य फसलों, दलहन	बजट के माध्यम से

	(बीज ग्राम योजना) (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	एवं तिलहन फसलों के बीज वितरण किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादित बीजों के सुरक्षित भण्डारण हेतु बुखारी वितरण का प्राविधान भी है। आउटकम–उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादित कर बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि।	
II	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (**SMAE**)– सपोर्ट टू स्टेट एक्स्टेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफामर्स– आतमा योजना (90% केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजना के अन्तर्गत कृषकों को समस्त उन्नत कृषि पद्धतियों एवं संवर्गीय कार्यक्रमों की तकनीकों के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसके लिये विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन भ्रमण एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद आदि कार्यक्रम सम्पादित कराये जाते हैं। आउटकम–कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों की नवीनतम तकनीकियों का कृषक/कृषक प्रक्षेत्रों तक प्रचार–प्रसार।	बजट के माध्यम से
7	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– (PMFBY) प्रीमियम पर (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा एवं कीट रोग से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में कृषकों को खरीफ में धान एवं मंडुवा तथा रबी में गेहूँ एवं मसूर (जनपद–पौड़ी एवं पिथौरागढ़) की फसल पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। योजना भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों के सहयोग से संचालित की जाती है। फसल धान एवं मंडुवा पर प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, गेहूँ एवं मसूर पर 1.5 प्रतिशत तथा नकदी फसलों पर 5 प्रतिशत है। बीमा हेतु संसूचित इकाई, ग्राम पंचायत किया गया है। आउटकम–किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।	बजट के माध्यम से केवल राज्यांश की व्यवस्था
	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना		
8	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना (टी.आर.एस.) (100 % केन्द्रपोषित)	कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुमान एवं फसल कटने से पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान तैयार किये जाते हैं। आउटकम– मुख्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अग्रिम अनुमान।	बजट के माध्यम से
9	फसल सांख्यिकी सुधार योजना (आई.सी.एस) (100 % केन्द्रपोषित)	कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। क्षेत्रफल परिगणना की प्रतिदर्श जांच (पड़ताल जांच), खसरा रजिस्टर पृष्ठ योगों की प्रतिदर्श जांच तथा फसल धान, मण्डुआ, गेहूं पर क्रॉप–कटिंग प्रयोगों की प्रतिदर्श जांच का कार्य किया जाता है। आउटकम–मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन के आंकड़ों में सुधार।	बजट के माध्यम से

10	कृषि अवसंरचना निधि (AIF)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा की व्यवस्था है। इससे फसलोपरान्त उपज क्षति को रोका जा सकेगा किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिये विपणन अवसंरचना में सुधार होगा एवं किसान की लाभ में सुधार। सभी प्रकार के ऋण पर 2 करोड़ रू0 तक की सीमा के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन दिये जाने का प्राविधान है। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 7 वर्षों के लिये उपलब्ध होगा। 2 करोड़ रू0 से अधिक ऋण की दशा में ब्याज सबवेंशन 2 करोड़ रू0 तक के ऋण तक सीमित होगा। आउटकम–फसलोत्पादन के उपरान्त होने वाले पोस्ट–हार्वेस्ट लॉसेज को रोकना तथा विपणन एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुये किसानों को लाभ पहुंचाना।	ऋण–वित्त सुविधा
11	किसान उत्पादक समूह (FPO)	किसान उत्पादक संगठनों का गठन कर कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास। ग्रामीण समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना। उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान कराना। किसान उत्पादक संगठनों का क्षमता विकास करते हुये निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। कृषि उत्पादक संगठन कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्पादन एवं विपणन में लाभ लेने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि कम्पनी अधिनियम के भाग IX-A या राज्य कोपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत होगा। आउटकम–कृषि लागत में कमी, प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि, विपणन हेतु बाजारों से जुड़कर अच्छी आय प्राप्त करना।	–
12	नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग	प्राकृतिक खेती का उददेश्य उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है। आउटकम– प्राकृतिक खेती अपनाकर उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना तथा शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना	बजट के माध्यम से
13	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन	फसलों की बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की	बजट के माध्यम

	एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	मुख्य फसलों के क्षेत्रफल अनुमान एवं फसल कटने से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार किया जाना है। आउटकम– फसलों का बुवाई के उपरान्त तथा फसल कटने से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार करना।	से

2 <u>राज्यपोषित योजनायें–</u>

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग प्रयोगों पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था।	बजट के माध्यम से
2	कृषि निवेश भण्डारों, बीज प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	670 न्याय–पंचायतों पर कृषि निवेश केन्द्रों का किराया व कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य।	बजट के माध्यम से
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियंत्रण, 02 कीटनाशी गुण नियंत्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स, उपकरण एवं रख–रखाव की व्यवस्था।	बजट के माध्यम से
4	जल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, पॉली हाउस विविधीकरण	कृषकों को कृषि यंत्रों पर केन्द्रीय योजनाओं से देय अनुदान के अतिरिक्त समतुल्य अनुदान 30 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है।	बजट के माध्यम से
5	राज्य किसान आयोग	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि के मानदेय, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि हेतु बजट की व्यवस्था। आयोग का कार्य कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव देना।	बजट के माध्यम से
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	स्वयं सहकारिता के आधार पर स्थानीय जलवायु विशेष के अनुसार क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास। आउटकम– कलस्टर कृषि को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर तथा कृषकों की आय में वृद्धि।	बजट के माध्यम से
7	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीजों का उत्पादन।	बजट के माध्यम से
8	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद् परिषद का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन के लिये नियमित कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से सेवायोजित कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि।	बजट के माध्यम से
9	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव।	बजट के माध्यम से

10	खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	कृषकों को गुणवत्तायुक्त प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का आपूर्ति।	बजट के माध्यम से
11	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की लागत	कीटनाशी, फफूंदनाशी, तृणनाशी, मूषकनाशी एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति।	बजट के माध्यम से
12	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	राज्य स्तरीय कृषि निदेशालय भवन, मण्डलीय कार्यालय भवनों एवं विकासखण्ड स्तर पर स्थित कृषि निवेश भण्डारों का निर्माण एवं अनुरक्षण।	बजट के माध्यम से
13	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास (SCP)	अनुसूचित जाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में कृषि विकास एवं आजीविका वृद्धि हेतु, बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, सामुदायिक सिंचाई टैंक /गूल निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, पॉली हाउस, छत वर्षा जल संरक्षण टैंक एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। आउटकम–चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में नई कृषि तकनीकियों एवं कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता।	बजट के माध्यम से
14	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास (TSP)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में कृषि विकास हेतु विभिन्न कृषि निवेश एवं सहायता प्रदान करना। योजना में बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, सामुदायिक सिंचाई/गूल, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, पॉली हाउस छत वर्षा टैंकों का निर्माण एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। आउटकम– चयनित अनुसूचित जनजाति ग्रामों में में नई कृषि तकनीकियों एवं कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता।	बजट के माध्यम से
15	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का अधिक समग्र एवं समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि, जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुरूप मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना प्रारम्भ गयी है, जो कि एक गैप फिलिंग योजना है। आउटकम– विभिन्न योजनाओं में गैप फिलिंग।	बजट के माध्यम से
16	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	कृषि फसलों के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रफल को बीमित करने तथा कृषकों की फसल क्षति का वास्तविक आंकलन एवं क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा इकाई सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2022–23 से ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। आउटकम– वास्तविक क्षति का आंकलन एवं कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान।	बजट के माध्यम से

17	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के परम्परागत फसल अनाज, दलहन एवं तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण का कार्य। आउटकम– परम्परागत फसलों के समर्थन मूल्य का निर्धारण।	बजट के माध्यम से
18	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। आउटकम– स्थानीय फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि।	बजट के माध्यम से
19	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु न्याय–पंचायत स्तरीय सूक्ष्म नियोजन, विभागों में समन्वय एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था। आउटकम– किसानों की आय में वृद्धि होगी।	बजट के माध्यम से
20	नाबार्ड सहायतित– **IRDF**	नाबार्ड द्वारा संचालित योजना आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वित्त पोषित	बजट के माध्यम से
21	कृषक उत्पादक समूह	कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	बजट के माध्यम से
22	राज्य मिलेट मिशन	राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ– साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा। मिलेट फसलों का क्रय PACs के माध्यम से कृषक तथा समूह में किया जायेगा। आउटकम– प्रदेश के मुख्य मिलेट को प्रोत्साहन	बजट के माध्यम से
23	जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु चेनलिंक फैन्सिंग	कृषकों की फसल की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु खेतों के चारों तरफ चैनलिंक फेन्सिंग की व्यवस्था करना आउटकम– किसानों के प्रक्षेत्र में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हेतु घेरबाड़	बजट के माध्यम से

बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय विवरण, वर्ष 2023–24

1–केन्द्रपोषित योजनायें धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय/आहरण (31 जनवरी 2024 तक)
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -2441**	17	2401-00-001-01-01	5988.59	703.00	703.00
			2401-00-001-95-01	993.63	78.11	78.11
		30	2401-00-001-01-01	2268.00	171.00	171.00
			2401-00-001-95-01	252.00	19.00	19.00
		31	2401-00-001-01-08	364.28	27.00	27.00
			2401-00-001-95-08	40.56	3.00	3.00
		योग		**9907.06**	**1001.11**	**1001.11**
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code - 2425**	17	2401-00-001-01-03	1800.00	635.20	635.20
			2401-00-001-95-03	200.00	70.58	70.58
		30	2401-00-001-01-02	324.00	152.51	152.51
			2401-00-001-95-02	36.00	16.95	16.95
		31	2401-00-001-01-01	54.00	23.53	23.53
			2401-00-001-95-01	6.00	2.62	2.62
		योग		**2420.00**	**901.39**	**901.39**
3	रेनफेड एरिया डैवलपमैंट (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK20**	17	2401-00-001-01-04	711.00	175.00	175.00
			2401-00-001-95-04	79.00	19.44	19.44
		30	2401-00-001-01-03	162.00	43.00	43.00
			2401-00-001-95-03	18.00	4.78	4.78
		31	2401-00-001-01-02	27.00	7.00	7.00
			2401-00-001-95-02	3.00	0.78	0.78
		योग		**1000.00**	**250.00**	**250.00**
4	पर ड्राप मोर क्राप (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई येाजना) (90 प्र0के0 पो0) **PFMS State code -2590**	17	2401-00-001-01-05	4290.00	780.00	780.00
			2401-00-001-95-05	477.00	86.67	86.67
		30	2401-00-001-01-05	1045.00	190.00	190.00
			2401-00-001-95-05	117.00	21.11	21.11
		31	2401-00-001-01-04	165.00	30.00	30.00
			2401-00-001-95-04	18.00	3.33	3.33
		योग		**6112.00**	**1111.11**	**1111.11**
5	स्वाईल हैल्थ कार्ड (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK39**	17	2401-00-001-01-06	567.00	0.00	0.00
			2401-00-001-95-06	63.00	0.00	0.00
		30	2401-00-001-01-06	135.00	0.00	0.00
			2401-00-001-95-06	15.00	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-05	18.00	0.00	0.00
			2401-00-001-95-05	2.00	0.00	0.00
		योग		**800.00**	**0.00**	**0.00**
6	स्वाईल हैल्थ मैनेजमैट (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK40**	17	2401-00-001-01-07	106.20	96.00	96.00
			2401-00-001-95-07	12.00	10.67	10.67
		30	2401-00-001-01-07	24.30	24.00	24.00
			2401-00-001-95-07	3.00	2.67	2.67
		31	2401-00-001-01-06	4.50	4.00	4.00
			2401-00-001-95-06	1.00	0.44	0.44
		योग		**151.00**	**137.78**	**137.78**
7	परम्परागत कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK36**	17	2401-00-001-01-08	4740.00	598.00	598.00
			2401-00-001-95-08	527.00	66.45	66.45
		30	2401-00-001-01-08	1080.00	146.00	146.00
			2401-00-001-95-08	120.00	16.22	16.22

		31	2401-00-001-01-07	180.00	23.00	23.00
			2401-00-001-95-07	20.00	2.56	2.56
		योग		**6667.00**	**852.23**	**852.23**
8	नैशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग(90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-11	371.32	0.00	0.00
			2401-00-001-95-11	41.26	0.00	0.00
		30	2401-00-001-01-10	84.60	0.00	0.00
			2401-00-001-95-10	9.40	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-10	14.10	0.00	0.00
			2401-00-001-95-10	1.56	0.00	0.00
		योग		**522.24**	**0.00**	**0.00**
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नमामि गंगे)(90 प्र0के0पो0)–	17	2401-00-001-01-12	1011.42	1011.41	1011.41
			2401-00-001-95-12	112.38	112.38	112.37
		30	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.00
			2401-00-001-95-11	0.02	0.01	0.00
		31	2401-00-001-01-11	0.01	0.00	0.00
			2401-00-001-95-11	0.02	0.01	0.00
		योग		**1123.86**	**1123.81**	**1123.78**
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि वानिकी)(90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-13	0.01	0.00	0.00
			2401-00-001-95-13	0.01	0.00	0.00
		30	2401-00-001-01-12	0.01	0.00	0.00
			2401-00-001-95-12	0.01	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-12	0.01	0.00	0.00
			2401-00-001-95-12	0.01	0.00	0.00
		योग		**0.06**	**0.00**	**0.00**
11	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK24**	17	2401-00-109-01-02	5000.00	429.00	429.00
			2401-00-109-95-02	567.00	47.67	47.67
		30	2401-00-109-01-01	1500.00	105.00	105.00
			2401-00-109-95-01	180.00	11.67	11.67
		31	2401-00-109-01-01	300.00	17.00	17.00
			2401-00-109-95-01	33.00	1.89	1.89
		योग		**7580.00**	**612.23**	**612.23**
13	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK22**	17	2401-00-109-01-03	711.00	272.76	272.76
			2401-00-109-95-03	79.00	30.30	30.30
		30	2401-00-109-01-02	162.00	66.34	66.34
			2401-00-109-95-02	18.00	7.37	7.37
		31	2401-00-109-01-02	40.72	40.72	40.72
			2401-00-109-95-02	4.44	4.44	4.44
		योग		**1015.16**	**421.93**	**421.93**
13	नैशनल ई0 गवर्ननैंस प्लान एग्रीकल्चर (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK33**	17	2401-00-109-01-04	142.20	0.00	0.00
			2401-00-109-95-04	15.80	0.00	0.00
		30	2401-00-109-01-03	32.40	0.00	0.00
			2401-00-109-95-03	3.60	0.00	0.00
		31	2401-00-109-01-03	5.40	0.00	0.00
			2401-00-109-95-03	0.60	0.00	0.00
		योग		**200.00**	**0.00**	**0.00**
14	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK23**	17	2401-00-109-01-05	1200.00	496.42	496.42
			2401-00-109-95-05	158.00	55.16	55.16
		30	2401-00-109-01-04	324.00	119.06	119.06
			2401-00-109-95-04	36.00	13.23	13.23
		31	2401-00-109-01-04	54.00	18.52	18.52
			2401-00-109-95-04	6.00	2.06	2.06
		योग		**1778.00**	**704.44**	**704.44**
15	सब मिशन आन सीड एण्ड	17	2401-00-109-01-06	50.00	49.03	49.03

	प्लांटिंग मैटेरियल (100 प्र0के0पो0)	30	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.00
		31	2401-00-109-01-05	0.01	0.00	0.00
		योग		**50.02**	**49.03**	**49.03**
16	फसल बीमा योजना (50 प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-01	0.01	0.00	0.00
			2401-00-110-95-01	400.00	0.00	0.00
		योग		**400.01**	**0.00**	**0.00**
17	नेशनल मिशन फसर एडिबल ऑयल सीड	17	2401-00-114-01-01	2.01	0.00	0.00
		योग		**2.01**	**0.00**	**0.00**
18	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	17	2401-00-111-01-05	100.00	0.00	0.00
			2401-00-111-01-06	54.72	54.72	38.29
			2401-00-111-01-07	-54.72	0.00	0.00
		योग		**100.00**	**54.72**	**38.29**
19	lesfdr tykxe ih0,e0ds0,l0okbzZ0	30	2401-00-001-95-04	24.89	24.89	24.89
20	विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (Special Assistance)	7	4059-80-800-01-05	2500.00	2500.00	2500.00
21	राष्ट्रीय आयल सीड एण्ड आयल पाम मिशन (90 प्र0के0पो0) **PFMS State code -UK8**	17	2401-00-114-01-03	45.00	14.77	14.77
			2401-00-114-95-03	5.00	1.64	1.64
		30	2401-00-114-01-01	16.20	3.55	3.55
			2401-00-114-95-01	1.80	0.40	0.40
		31	2401-00-114-01-01	2.70	0.55	0.55
			2401-00-114-95-01	0.30	0.06	0.06
		योग		**71.00**	**20.97**	**20.97**
योग (केन्द्रपोषित योजनाऐं)		**7**	राज्यांश	**2500.00**	**2500.00**	**2500.00**
		17	केन्द्रांश	26835.76	5315.31	5298.88
			राज्यांश	3730.08	579.07	579.06
		30	केन्द्रांश	7157.53	1020.46	1020.46
			राज्यांश	834.72	138.30	138.29
		31	केन्द्रांश	1229.73	191.32	191.32
			राज्यांश	136.49	21.19	21.18
		योग		**42424.31**	**9765.64**	**9749.18**

2.– राज्य सेक्टर की योजनाएंः–

धनराशि लाख रू0 में

क0 सं0	**योजना का नाम**	**अनु0 सं0**	**लेखाशीर्षक**	**बजट प्राविधान**	**जारी स्वीकृति**	**व्यय/आहरण (31 जनवरी 2024 तक)**
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	17	2401-00-001-04-00	12894.76	12894.76	9786.31
2	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-001-05-00	692.76	692.76	631.04
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का	17	2401-00-001-07-00	71.75	71.75	56.29

	संचालन व्यय					
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	17	2401-00-001-08-00	1000.00	599.77	586.10
5	राज्य किसान आयोग का गठन	17	2401-00-001-12-00	55.51	55.50	34.96
6	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	17	2401-00-001-15-00	1200.00	0.00	0.00
7	कृषकों की आय दोगुना करना	17	2401-00-001-16-00	0.01	0.00	0.00
8	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	17	2401-00-001-18-00	2500.00	0.00	0.00
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	17	2401-00-001-19-00	9.25	9.25	0.85
10	कृषि उत्पाद समूह	17	2401-00-001-20-01	0.03	0.00	0.00
11	राज्य मिलेट मिशन	17	2401-00-001-22-00	1500.00	600.00	222.67
12	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	17	2401-00-102-03-00	2000.00	1250.00	1250.00
13	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	17	2401-00-103-03-00	55.00	55.00	34.28
14	जैविक उत्पाद परिषद	17	2401-00-105-04-00	125.01	125.00	125.00
15	सूचना सलाह केन्द्रो का सुद्ढीडीकरण	17	2401-00-109-04-00	12.37	12.37	6.58
16	कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण	17	2401-00-111-01-02	100.00	58.24	18.24
17	4401 –खाद्यान्न/दलहन/ तिलहन बीजों का क्रय	17	4401-00-103-03-00	1550.00	1550.00	1387.12
18	4401–कीटनाशक औषधियों का क्रय	17	**4401-00-107-03-00**	1500.00	1500.00	746.26
19	4401–विभागीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	17	**4401-00-800-05-00**	50.00	39.57	14.94
20	4401–नाबार्ड सहायतित–आर0आई0डी0एफ0	17	**4401-00-800-95-01**	2245.00	2002.33	2002.33
21	अनु0जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	30	2401-00-102-02-05	523.43	523.43	385.36
22	अनु0 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	31	2401-00-102-02-02	201.71	201.71	142.40
योग (राज्य सैक्टर)		**17**		**27561.45**	**21516.30**	**16902.97**
		30		**523.43**	**523.43**	**385.36**
		31		**201.71**	**201.71**	**142.4**
		योग		**28286.59**	**22241.44**	**17430.73**

कुल बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय विवरण– वर्ष 2023–24

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय/आहरण (31 जनवरी 2024 तक)
योग (केन्द्रपोषित +राज्य पाषित)		**7**	2500.00	2500.00	2500.00
		17	58127.29	27410.68	22780.91
		30	8515.68	1682.19	1544.11
		31	1567.93	414.22	354.90
		योग	**70710.90**	**32007.08**	**27179.91**